

सेवा में,

G.D.N. 18/17+18

(02)



लोक सूचना अधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, विहार सरकार
प्रथम तल्ला, विकास भवन, बेली रोड,
पटना-800015

दिनांक:- 14.04.2017

नाम:- संजय कुमार

पता:- डॉक्टर्स छात्रवास-1
कमरा संख्या 54, पी.एम.सी.एच.
पटना-800004

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीयन संख्या 65939

20/04/17

महोदय,
कृपया मुझे निम्नांकित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें:-

① पटना शहर एवं पटना जिले में कुल Private Allopathic Hospitals की संख्या कितनी है ?

② प्रत्येक Private (निजी) Allopathic Hospital में कार्यरत MBBS डॉक्टर्स की संख्या एवं सूची उपलब्ध कराएँ।

③ क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत Private Allopathic Hospitals 386/अंको Non-MBBS डॉक्टर्स अर्थात् BAMS, BHMS, BUMS, BSMS आदि को

य-प-17 विमाने हेतु MBBS डॉक्टर्स के रूप में रखते हैं? अगर है तो बताएँ?

④ पटना जिले के कुल ऐसे कितने Private (निजी) Allopathic Hospitals हैं जहाँ Non-MBBS डॉक्टर्स (अर्थात्: -BAMS, BHMS, BUMS, etc.) अर्थात् रूप से MBBS न होते हुए भी MBBS डॉक्टर्स के रूप में फर्जी रूप से कार्यरत हैं? बताएँ?

⑤ इस फर्जी डॉक्टर्स द्वारा निजी Allopathic Hospitals में गलत इलाज करने के फलस्वरूप (चूंकि उन्होंने MBBS की पढाई नहीं की है, उन्हें Allopathic Medicine और इलाज की कोई जानकारी नहीं होती) जिन मरीजों को मनसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति होती है, कई मरीज ऐसे मोलाघाप डॉक्टर्स के गलत इलाज के फलस्वरूप असमर्थ उनकी मृत्यु तक हो जाती है, इन सबका उत्तरदायी कौन है? Non-MBBS डॉक्टर्स या Private Hospitals (जो अपनी निजी स्वाधीनता हेतु MBBS डॉक्टर्स को प्रशिक्षण देते हैं) या फिर स्वास्थ्य

संख्या 6
श्री संजय कुमार
21/4/17
पंजीयन संख्या
राज्य
मापा/17

229
24/04/17

प्रपत्र 'ड'

(नियम 4 (2) देखो)

अन्य प्राधिकार से संबंधित आवेदन का स्थानान्तरण

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

नि.शाखा
शुल्का शीट
मिर्गत है।

ASR
26-04-17

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई.डी.सं.-18/17-18

2121(E)w पटना, दिनांक-26/4/17

प्रेषक:

शैलेन्द्र कुमार
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)-सह-लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री संजय कुमार का सूचना आवेदन दिनांक-14.04.2017, जो इस विभाग में दिनांक-20.04.2017 को प्राप्त हुआ है (आई०डी० सं०-18/17-18) निम्न कारणों से संलग्न किया जाता है:-

याचित सूचना आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है, अतः अधिनियम की धारा-6(3) के अनुपालन में इसे आवश्यक कार्यार्थ आपको स्थानान्तरित किया जाता है। अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

शैलेन्द्र कुमार
25-4-17

(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक 2121(E)

पटना, दिनांक 26/4/17

प्रतिलिपि:- श्री संजय कुमार, डॉक्टर्स छात्रावास-1, कमरा संख्या-54, पी०एम०सी०एच०, पटना-800004 (आवेदक)।

चूँकि माँगी गई सूचना से संबंधित आपका आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसे क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले लोक सूचना पदाधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उल्लिखित लोक सूचना पदाधिकारी से संपर्क करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

शैलेन्द्र कुमार
25-4-17

(शैलेन्द्र कुमार)

पथ निर्माण विभाग
कम्प्यूटरीकृत मिर्गत
पंजीयन संख्या

ASR
308899
27-4-17